न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 142 / 2022

मिलन करोल, ग्राम हीरवा, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं, पिन कोड 333027, मो0न0 7891111625

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 19.05.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 28.04.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 142 / 2022 पर दिनांक 28.04.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2021 / 1822–23 दिनांक 28.04.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16 (4)(5)न्याय / सू0अ0 / 20 / 581 दिनांक 09.05.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी मिलन करोल पुत्र मातादीन करोल, निवासी हीरवा, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध करवाने हेतु आरटीआई पार्टल पर 08.04.2022 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध मे इस कार्यालय के पत्र कमांक एफ 16 (4)(5)न्याय / सू0अ0 / 09 / 152 दिनांक 21.04.2022 के द्वारा प्रार्थी को सूचित करते हुए अवगत करवाया कि आप द्वारा चाही गई सूचना न्यायालय से संबंधित होने के कारण आपका आवेदन पत्र वापस लौटा कर लेख है कि आप संबंधित न्यायालय मे आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सूचना प्राप्त कर सकते है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं पत्रांक एफ 16 (4)(5)न्याय / सू0अ0 / 20 / 581 दिनांक 09.05.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी मिलन करोल पुत्र मातादीन करोल, निवासी हीरवा, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध करवाने हेतु आरटीआई पार्टल पर 08.04.2022 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध मे उनके कार्यालय के पत्र कमांक एफ 16 (4)(5)न्याय / सू0अ0 / 09 / 152 दिनांक 21.04.2022 के द्वारा प्रार्थी को सूचित करते हुए अवगत करवाया कि आप द्वारा चाही गई सूचना न्यायालय से संबंधित होने के कारण आपका आवेदन पत्र वापस लौटा कर लेख है कि आप संबंधित न्यायालय मे आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सूचना प्राप्त कर सकते है। चूंकि प्रार्थी को संबंधित न्यायालय से ही सूचना दी जानी है न कि लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं द्वारा दी जानी है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 19.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.05.20 16:54:43 IST
Reason: SelfAttested

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं

जिला कलक्टर झुन्झुनूं